अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 113/2011

सूर्यदेव सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, सोनपुर, सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
21.05.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर, सारण के आदेश ज्ञापांक 1027, दिनांक 19.11.2011 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 25.10.2011को सूर्यदेव प्रसाद, ज0वि0प्र0वि, पंचायत–बारवे, प्रखंड–दरियापुर, जिला–सारण की दूकान की जांच जिला के द्वारा गठित जाँच दल के द्वारा की गई। जांच के क्रम में दूकान बंद पाई गई। उक्त अनियमितता के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, सोनपुर, सारण के ज्ञापांक 893,दिनांक 11.11.2011 के द्वारा विक्रेता से कारण–पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसे रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता जांच की तिथि को दिधवारा किरासन तेल लेने के लिए जा रहे थे, जिस क्रम में उनकी तबीयत अचानक काफी खराब हो गयी, जिन्हें तुरंत हाजीपुर डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया। डॉक्टर की सलाह पर्ची विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। विक्रेता की जेब में चाभी होने की वजह से	

परिवार के सदस्यों के द्वारा न तो दूकान खोलकर दिखाना संभव हो सका और न ही कोई कागजात ही प्रस्तुत करना संभव हो पाया। विक्रेता के द्वारा जान-बुझ कर अपनी अनियमितता को छिपाने के लिए दूकान को बंद नही रखा गया था। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनुदानित सामग्री का उठाव एवं वितरण ससमय किया जाता है। जांच के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल बिन्दु पाया जाता है तो यह आवश्यक है कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से उसे विक्रेता को उपलब्ध कराकर उनसे पूरक कारण पृच्छा किया जाए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमितता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 1027 दिनांक 19.11.2011) में कई कमियां नजर आ रही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत आदेश एक मुखर आदेश नहीं है। अभिलेख में बिना हस्ताक्षर के निरीक्षण प्रतिवेदन रक्षित है,जिसे आधार बनाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया गया है। जांच दल के द्वारा संबंधित उपभोक्ताओं का बयान भी प्राप्त नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या विक्रेता के द्वारा किसी प्रकार की कोई अनियमितता की जा रही थी। जांच के क्रम में, यदि दूकान बद पाई गई तो अनुज्ञापन पदाधिकारी के लिए यह आवश्यक था कि एक तिथि निर्धारित कर विक्रेता की दूकान एवं उनके कागजातों की जांच की जाती, और यदि जांच के क्रम में किसी प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाती तो विक्रेता से कारण पृच्छा करते हुए उसकी अनुज्ञप्ति के विरूद्ध कोई कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। **अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।** साथ ही अपीलार्थी को निदेश है कि वे भविष्य में नियंत्री पदाधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करके ही अवकाश का उपभोग करना सुनिश्चित करेगें। यदि वे स्वयं किसी कारण से दूकान पर उपस्थित नहीं हो तो किसी प्राधिकृत व्यक्ति को दूकान पर रखकर निर्धारित कार्यअवधि में दूकान का

संचालन करवाना सुनिश्चित करेंगें। इस आशय का शपथ पत्र अपीलार्थी से प्राप्त करना अनुज्ञापन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगें।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

ज्ञापांक 360 /न्या0, दिनांक 22/5/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
22/5/15